



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]
No. 68]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 16, 2006/आश्विन 24, 1928
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 16, 2006/ASVINA 24, 1928

भारत निर्वाचन आयोग
निदेश

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2006

आ.अ. 95(अ).—यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबोधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से दिए और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करे; तथा

2. यतः, मध्य प्रदेश राज्य में आयोग ने 20-विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की परिस्थितियों पर विचार किया है और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उपलब्ध है, मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के दक्षतापूर्वक संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं;

3. अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा मध्य प्रदेश राज्य में 20-विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को उस निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसमें 6 अक्टूबर, 2006 को अधिसूचित उक्त राज्य की लोक सभा के लिए चालू उप निर्वाचन में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन मत निर्धारित रीति से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से डाले और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

[सं. 576/3/ईवीएम/2006/न्या.अनु.-II (लो.स.)]

आदेश से,
के. एफ. विल्फ्रेड, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA
DIRECTION

New Delhi, the 13th October, 2006

O.N. 95(E).—Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by voting machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency as the Election Commission may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. Whereas, the Commission has considered the circumstances in 20-Vidisha Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh, and it is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the abovementioned Parliamentary Constituency, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. Now, therefore, the Election Commission of India hereby specifies 20-Vidisha Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh, as the constituency in which the votes at the current by-election to the House of the People from the said State notified on 6th October, 2006, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

[No. 576/3/EVM/2006/JS-II(HP)]

By Order,
K. F. WILFRED, Secy.